सं.14/1/2016-ईओयू
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 02 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 23 फरवरी, 2016 को आयोजित होने के लिए निर्धारित पहली बैठक (2016 श्रृंखला) की अनुसूची अग्रेषित करना।

मुझे ईओयू स्कीम के लिए अनुमोदन बोर्ड (बीओए) की दिनांक 23 फरवरी, 2016 को अपराहन 3.00 बजे कमरा संख्या 47, उद्योग भवन, नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होने के लिए निर्धारित पहली बैठक (2015 श्रृंखला) की अनुसूची की मदों की एक प्रति इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।

2. कृपया बैठक में उपस्थित होने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-
(जी. श्रीनिवासन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23062496
ई-मेल : srinivasan.g@nic.in

1. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
2. सीबीईसी [सदस्य (सीमाशुल्क)], वित्त मंत्रालय
3. सीबीडीटी [सदस्य (आयकर)], वित्त मंत्रालय
4. डीजीएफटी
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
6. संयुक्त सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
8. सभी विकास आयुक्त

प्रतिलिपि : वाणिज्य सचिव के प्रधान निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीपीएम) के निजी सचिव/ जेपीएम के निजी सचिव, उप-सचिव (टीवीआर) के निजी सचिव।

ईओयू योजना के लिए 23.02.2016 को 3.00 बजे आयोजित पहली बीओए बैठक (2016 श्रृंखला) के लिए एजेंडा

1.1(16) दिनांक 30.12.2015 को आयोजित बीओए की 5वीं बैठक (2015 श्रृंखला) के कार्यवृत्त की पुष्टि।

1.2(16) वीएसईजेड के तहत एक ईओए मैसर्स माही गेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड – ड्यूटी फ्री पीईबी संरचनाओं की खरीद के लिए अनुमति।

क्वार्ट्ज सतह स्लैब के निर्माण और निर्यात के लिए तेलंगाना में 100 प्रतिशत की स्थापना के लिए इकाई को 10.11.2015 को एलओपी जारी किया गया था। इकाई ने स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के शीर्षक के तहत "प्री-इंजीनियरिंग बिल्डिंग (पीईबी) संरचना" की खरीद के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया।

इकाई ने 08.12.2015 को पीईबी संरचनाओं की खरीद के लिए छूट मांगने के लिए स्पष्टीकरण दिया था कि उन्होंने अपनी प्रस्तावित साइट पर 1 लाख एसएफटी की पीईबी संरचना को डिजाइन, आपूर्ति, खड़ा करने और कमीशन करने के लिए जमील स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड पुणे को आदेश दिया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीईबी संरचना पूरी विनिर्माण प्रक्रिया और कच्चे माल की नमी, जलवायु परिवर्तन से मुक्त करने और निर्यात बाजारों के लिए उपयुक्त दोष मुक्त उत्पाद के उत्पादन के लिए दूषित मुक्त वातावरण प्रदान करने के लिए उनकी विनिर्माण गतिविधि की आवश्यकता है। यूनिट ने आगे प्रस्तुत किया कि यह आयातित मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं के लिए भी एक आवश्यकता है और विदेशी ग्राहकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जब वे नमूना अनुमोदन के लिए अपने कारखाने के स्थानों पर जाते हैं। उन्हें नियंत्रित तापमान स्थितियों में उत्पाद विकास के लिए प्रयोगशाला और पीईबी संरचना भी बनाना है।

डीसी, वीएसईजेड ने 18.12.2015 को यूनिट को छूट श्रेणी के तहत पीईबी संरचना की खरीद के लिए अनुमति दी, जिसमें अंतर्ग्रस्त राशि के बराबर बैंक गारंटी जमा करने की शर्त शामिल है। इकाई ने एसबीआई, ओवरसीज़ शाखा से 27,57,500/-रुपये की राशि के लिए बैंक गारंटी जमा की।

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एचबीपी 2015-20 के पैरा 6.04 डीटीए में डीटीए से आयात/खरीद के लिए अनुमति देने वाले विभिन्न प्रकार के सामानों की एक सूची का प्रावधान है। पैरा 6.04 (एफ) प्रावधान करता है कि 6.04 (ए) से 6.04(ई) में उल्लिखित न किए गए किसी भी अन्य आइटम को बीओए की मंजूरी के बाद खरीदा जा सकता है।

डीसी की सिफारिश : डीसी ने पैरा 6.04(एफ) के मामले में यूनिट का अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है।

उदाहरण : बीओए ने वीएसईजेड के तहत एक ईओए मैसर्स पिककिंगटन ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को 13.03.2012 को आयोजित बैठक में पीईबी की शुल्क मुक्त खरीद के लिए मंजूरी दे दी।

1.3(16) सीप्ज तहत ईओयू मैसर्स कृष्णा एंटीऑक्सीडेंट प्राइवेट लिमिटेड – में डीटीए इकाई के सम्परिवर्तन के लिए प्रस्ताव।

आवेदक कंपनी ने सल्फेटेड केस्टर तेल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ड्रिलिंग डिटर्जेंट आदि (अनुबंध एक पर उपलब्ध विस्तृत सूची के विनिर्माण और उनका निर्यात करने के लिए चिपलून रत्नागिरि स्थित इकाई का वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपये से अधिक है। मौजूदा डीटीए यूनिट को ईओयू यूनिट में सम्परिवर्तित करने हेतु एलओपी देने के लिए आवेदन किया है।

सहायक आयुक्त केंद्रीय उत्पाद कर एवं सेवा कर ने प्रस्तावित कारखाना परिसर की निरीक्षण रिपोर्ट जमा की और सूचित किया कि प्रस्तावित स्थान 95 वर्षों की अवधि के लिए लीज आधार पर है। परिसर और भवन की प्रस्तावित योजना केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी की जाने वाली धारा 58 और 65 के तहत आवश्यक अनुमति के लिए उपयुक्त है।

आवेदक डीजीएफटी द्वारा जारी अग्रिम प्राधिकार के दायित्व में है।

संयंत्र और मशीनरी में मौजूदा निवेश 5.67 करोड़ रुपये है और प्रस्तावित निवेश 21.37 करोड़ रुपये होगा। पांच वर्ष में एनएफई कमाई 247.28 करोड़ रुपये है। पिछले 3 वर्षों का आवेदक कंपनी का निर्यात कारोबार इस प्रकार है :

वर्षों	निर्यात (लाख रुपयों में)
2012-13	8310.36
2013-14	14533.57
2014-15	12121.10

एफटीपी का प्रासंगिक प्रावधान : एफटीपी 2015-16 के पैरा 6.07(डी) के अनुसार :

"संयंत्र और मशीनरी में 50 करोड़ रुपये और उससे ऊपर के रुपये के निवेश वाली या 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक का सालाना निर्यात करने वाली मौजूदा डीटीए इकाइयों से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी इकाई में सम्परिवर्तन के लिए आवेदन के समक्ष निर्णय लेने के लिए किया जाएगा।"

डीसी की सिफारिश : डीसी ने सिफारिश की है कि इकाई के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है।

भाग-II

वर्ष 1995 के प्रेस नोट संख्या 3 के अनुसार बीओए के अनुसमर्थन करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत विकास आयुक्त द्वारा दिया गया अनुमोदन।

क	अक्तूबर, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत	के ए एस ई जेड
ख	दिसम्बर, 2015 की अवधि के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदन स्वीकृत	वी एस ई जेड
ग	सितम्बर, 2015 से जनवरी, 2016 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वीकृत स्वीकृतियां	सीप्ज
घ	सितम्बर, 2015 से जनवरी, 2016 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वीकृत स्वीकृतियां	एन ई पी जेड
ड.	नवम्बर, 2014 से अक्तूबर, 2015 के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत स्वीकृत स्वीकृतियां	सी एस ई जेड